

इलाहाबाद विकास प्राधिकरण

(5)


पत्रांक :55 / प्र0अ0-भवन / जोन-2 / शमन / 2011-12 दिनांक 25 / 11 / 2011


विनियमितीकरण







यह विनियमितीकरण केवल उ0प्र0 नगर नियोजन तथा विकास अधिनियम 1973 की धारा 32 के अन्तर्गत की जाती है, किन्तु अर्थ यह न समझना चाहिये कि उस भूमि के सम्बन्ध में जिस पर व्यवसायिक/आवासीय मानचित्र स्वीकृत किया जा रहा है, इससे किसी प्रकार या किसी स्थानीय निकाय या इसका स्थानीय अधिकारी या व्यक्ति अथवा फर्म के मालिकाना अधिकारों पर किसी का कोई असर पड़ेगा अर्थात् यह अनुमति किसी के मिल्कियत या स्वामित्व के अधिकारों के विरुद्ध कोई प्रभाव न रखेगी।

श्री राजेश कुमार सिंह व अन्य पुत्रगण स्व0 गंगा प्रसाद सिंह स्थल 85 जानसेनगंज इलाहाबाद जोन संख्या (2) के अन्तर्गत दाखिल व्यवसायिक/आवासीय मानचित्र के प्रस्तावित भाग पर निर्माण की अनुमति निम्नांकित प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है :-

1. उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15ए (1) के प्राविधानों के अनुरूप पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात् ही उपभोग/अधिभोग किया जायेगा, भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 में उपविधि संख्या-2.1.8 एवं 3.1.8 में निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण कर पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक है।
2. स्वामित्व सम्बन्धी किसी भी विवाद पर मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
3. स्थल पर 01 वृक्ष लगाना होगा तथा वृक्षों को हरा-भरा रखने का दायित्व आपका का होगा।
4. मानचित्र जिस उपभोग के लिये स्वीकृति प्राप्त किया गया है उसी अनुसार ही स्थल का उपयोग मान्य होगा। अशमनीय भाग को स्वतः हटाने का शपथ पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जिसका अक्षरशः अनुपालन करना होगा और मानचित्र निर्गत के 15 दिन के अन्दर हटाकर विकास प्राधिकरण को अवगत कराना होगा।
5. यदि आवेदक द्वारा कोई महत्वपूर्ण सूचना छिपायी गयी है अथवा गलत सूचना दी गयी है तो उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15 (9) के अन्तर्गत मानचित्र निरस्त करने योग्य होगा।
6. यह स्वीकृति सैद्धान्तिक होगी, जिसकी प्रकृति अस्थायी होगी। उपरवर्णित शर्तों को पूर्ण करने तथा पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही मानचित्र की अन्तिम स्वीकृति प्रदान की जायेगी। Conditions से Material/ Substantial विचलन की स्थिति में स्वीकृति स्वतः निरस्त हो जायेगी तथा इस आधार पर की गयी समस्त कार्यवाहियाँ अकृत एवं शून्य समझी जायेगी।
7. यह स्वीकृत पत्र केवल पाँच वर्ष की अवधि के लिए है। यदि उपरवर्णित प्रतिबन्धों का उल्लंघन अथवा पार्क इत्यादि का अतिक्रमण विकासकर्ता द्वारा किया जाता है तो इ0वि0प्र0 द्वारा नियमानुसार उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।
8. मकान निर्माण से यदि नाली के सड़क की पटरी अथवा सड़क या नाली के किसी भाग (जो मकान के अगवाड़े पिछवाड़े अथवा उसके आकार के कारण ढक गई हो) को हानि पहुँचे तो गृहस्वामी तैयार हो जाने पर 15 दिन के भीतर अथवा यदि विकास प्राधिकरण ने एक लिखित सूचना द्वारा और शीघ्र कहा तो पहले ही उसे अपने खर्चे से मरम्मत कराकर पूर्ववत् अवस्था जिससे विकास प्राधिकरण को सन्तोष हो जाय, में कर देगा।
9. गृह निर्माण के समय इसका भी ध्यान रखना होगा कि भारतीय विद्युत अधिनियम 1956 (इण्डियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स 1965) नियम 82 का उल्लंघन किसी भी दशा में न होना चाहिए। यदि विकास प्राधिकरण की जानकारी में ऐसे मामले पाये गये तो वह ऐसे निर्माण को रोक अथवा हटवा सकता है।
10. आवेदक को नियमानुसार विकास प्राधिकरण को मकान की नींव तक तथा छत तक बन जाने एवं उसके पूर्ण हो जाने की सूचना मकान आबाद होने से पूर्व देना होगा तथा उस आदमी का नाम भी देना होगा जिसके निरीक्षण में मकान निर्मित हुआ है।
11. यदि निर्माण में मास्टर प्लान का उल्लंघन होता पाया गया तो निर्माणकर्ता को दी गई स्वीकृति रद्द समझी जायेगी और किया गया निर्माण अनधिकृत घोषित कर उक्त अधिनियम की धारा 27 (1) के अन्तर्गत कार्यवाही आरम्भ की जायेगी।


26/11/11


(सीमा सिंह)
संयुक्त सचिव/ प्र0अ0-भवन
इलाहाबाद विकास प्राधिकरण,
इलाहाबाद।



COMPOUND AREA CHART DETAIL

FLOOR	SANITARY	OTHER THAN SET BACK ROOMS	TOTAL
B.F.	9150	17 85	117 35
F.F.	9950	17 85	117 35
S.F.	9750		117 35
BASE	50 88		

COMPILING COMMERCIAL PLAN OF HOUSE NO. 855 JOHNSTON GANJ
SCALE 1:100

OWNER :-
ALLAHABAD

22/02/2009
22/02/2009
22/02/2009

ER. V. K. MISHRA
B. Tech (Civil)
V. No. 2, B-1, Sector-10, Gurgaon
G-58, Indira Park, Sector-10, Gurgaon